

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 2238 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 17 / 12 / 2014)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद।

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. राजेन्द्र सिंह पुत्र मान सिंह राव, उम्र 52 वर्ष।
निवासी :- नेहरू पेट्रोल पम्प के पास ग्वालियर, थाना-कम्पू,
जिला-ग्वालियर, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 18 / 01 / 2018 को घोषित)

01. अभियुक्त राजेन्द्र सिंह पर भा.द.सं. की धारा :- 279 एवं 304 ए के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 31 / 07 / 2014 को शाम लगभग 06:45 बजे नहर पुलिया सड़क के नीचे मौ-चितौरा रोड़ पर, उसके आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी.07 / सी.जी. / 3617 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक नरेश में टक्कर मारकर, उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 31 / 07 / 14 को शाम लगभग 06:45 बजे नहर पुलिया सड़क के नीचे मौ-चितौरा रोड़ पर, वाहन बस क्रमांक एम.पी.07 / सी.जी. / 3617 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक नरेश को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने की देहाती नालसी उसी दिनांक : 31 / 07 / 2014 को घटना के लगभग 15 मिनट पश्चात् शाम 07:00 बजे फरियादी जगदीश द्वारा लेखबद्ध कराये जाने पर, बस क्रमांक एम.पी.07 / सी.जी. / 3617 के वाहन चालक के विरुद्ध जीरो पर कायमी की गई। उक्त देहाती नालसी के आधार पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.07 / सी.जी. / 3617 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 262 / 14 अन्तर्गत धारा 279 एवं 304 ए भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। दिनांक :

18/08/2014 को आरोपी राजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया एवं दिनांक : 18/08/2014 को ही बस क्रमांक एम.पी.07/सी.जी./3617 जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी पदम् चन्द्र जैन का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी जगदीश, साक्षीगण वीरेन्द्र, रामअवतार एवं विक्रम के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 279 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:—

01. क्या आरोपी राजेन्द्र सिंह ने दिनांक :— 31/07/2014 को शाम लगभग 06:45 बजे नहर पुलिया सड़क के नीचे मौ—चितौरा रोड़ पर, उसके आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी.07/सी.जी./3617 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक नरेश में टक्कर मारकर, उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी जगदीश अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 07/04/2017 से करीबन तीन साढ़े तीन साल पहले की होकर शाम के 07—08 बजे की हैं। वह

नहर की पुलिया के पास अपने ग्राम चम्हेड़ी से जा रहा था, तभी गांव का नरेश कुशवाह सड़क पर गंभीर हालत में डला हुआ दिखा, जिसके शरीर में जगह-जगह चोटें थी, जिसका कोई गाड़ी एक्सीडेंट करके चली गई थी। साक्षी आगे कहता है कि जिसकी सूचना उसके द्वारा थाना गोहद में दी गई थी, जिसकी देहाती नालसी प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उसका कोई बयान नहीं लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी जगदीश अ.सा.04 ने आरोपी राजेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक :- 31/07/2014 को शाम लगभग 06:45 बजे नहर पुलिया सड़क के नीचे मौ-चितौरा रोड़ पर, उसके आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी.07/सी.जी./3617 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक नरेश में टक्कर मारकर, उसकी मृत्यु कारित करने का तथ्य नहीं बताया है। इस वावत् फरियादी जगदीश अ.सा.04 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई देहाती नालसी प्र.पी.05 एवं पुलिस कथन प्र.पी.07 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप हैं, जो विरोधाभास की प्रकृति के हैं।

09. साक्षीगण विक्रम अ.सा.03, रामौतार अ.सा.05 एवं वीरेन्द्र अ.सा.07 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपी राजेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक :- 31/07/2014 को शाम लगभग 06:45 बजे नहर पुलिया सड़क के नीचे मौ-चितौरा रोड़ पर, उसके आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी.07/सी.जी./3617 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक नरेश में टक्कर मारकर, उसकी मृत्यु कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

10. डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.01 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल मृतक नरेश के शव परीक्षण के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 में दर्शित उनके अभिमत संबंधी उनके न्यायालयीन साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

11. उपरोक्त कथित चक्षुदर्शी साक्षीगण के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपित घटना में वाहन चालक के रूप में आरोपी राजेन्द्र सिंह की पहचान संबंधी अथवा बस क्रमांक एम.पी.07/सी.जी./3617 के संबंध में कोई तथ्य प्रकट ना होने के कारण देहाती नालसी पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने वाले साक्षी सहायक उपनिरीक्षक बलवंत सिंह अ.सा.02 एवं विवेचक सोनपाल सिंह अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

12. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी राजेन्द्र सिंह ने दिनांक :- 31/07/2014 को शाम लगभग 06:45 बजे नहर पुलिया सड़क के नीचे मौ-चितौरा रोड़ पर, उसके आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी.07/सी.जी./3617 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक नरेश में टक्कर मारकर, उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

अंतिम निष्कर्ष

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 279 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी राजेन्द्र सिंह को धारा 279 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

15. प्रकरण में जब्तशुदा बस क्रमांक एम.पी.07/सी.जी./3617 उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान कर व्ययनित की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद